न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/32/2025 | रजू दिनांकः 21.03.2025 | रजि0 न0 2025/45

अपीलार्थीः–

श्री मौसमदीन, ग्राम व पोस्ट–खोह, तहसील रामगढ़, जिला अलवर–301026 (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 28.04.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन RTI पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 06.03.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 07.04.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/774 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यमं से RTI Online Portal पर प्रस्तुत सूचना आवेदन क्रमांक 293724954572693 दिनांक 06.03.2025 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा किए गये विनिश्चय पत्र सं0 3279684338 दिनांक 12.03.2025 के विरूद्व आक्षेप व्यक्त किया है। उक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन क्रमांक 293724954572693 दिनांक 06.03.2025 अन्तर्गत, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 की प्रमाणित प्रति, विविध खसरा नंबरान का अंकन कर उनसे संबंधित अभिलेख की प्रति, तत्सबंधी जांच रिपोर्ट आदि 04 बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है जो कि पूर्ण विशिष्टीकृत नहीं होने, यथा–संबंधित न्यायालय का नाम, मुकदमा सं0 प्रवेश तिथि/निर्णय तिथि का अंकन नही होने, साथ ही नियम/परिपत्र आदि की प्रति लोक प्राधिकारियों द्वारा रखे जाने की श्रेणी में नहीं होने के कारण, अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ), 7(9) के आलोक में उक्तानुसार पत्र सं. 3279684338 दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में RTI Online Portal No. 3279684338 दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/775 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

न्यायालय जिला कलक्टर
अलवर (राज0)